

(11) वृद्धहारीत स्मृति 7/256 में लिखा है : भगिन्यश्च तुरीयांशं, पैतृकादाहदेद् धनम् । न स्त्रीधनं तु दायाद्वा विभजेरयुनापदि ॥ अर्थात् पैतृक धन से बहनों को अपना चौथा भाग दे । सम्बन्धी बिना विशेष आपत्ति के स्त्री धन का बंटवार न करें ।

(12) देवल स्मृति में निम्न वचन पाया जाता था जिसे दाय भाग 175, स्मृति चन्द्रिका, 268, स्मृतिसार 59 आदि में उद्धृत किया गया है :

कन्याभ्यश्च पितृद्रव्यश्च देयं वैवाहिकं वसु ॥ इसका अर्थ स्मृतिचन्द्रिकाकार ने यह किया है कि विवाहप्रयोजक धनं कन्याभ्यः पितृद्रव्याद् देयम् ॥ अर्थात् कन्याओं को विवाह के लिए धन पैतृक सम्पत्ति में से देना चाहिए । किंतु व्यवहार प्रकाशकार ने इस अर्थ का खण्डन करते हुए लिखा है कि 'स्मृतिचन्द्रिकाकारस्तु कन्याभ्यश्चेति देववचनपनुसारेण संस्कार मात्रोपयोगि द्रव्यदानमेव मन्यते अत्र वदामः कन्याभ्यः पितृ द्रव्यदेयमिति पृथग् विधिः । तच्च मन्वाद्यनुरोधाच्चतुर्थांशरूपमेव । वैवाहिकवसुः च देयं इत्यपि पृथग् विधिः 'विभज्यमाने दायाद्ये कन्यालङ्कार वैवाहिकं च स्त्रीधनं लभेत्' इति शङ्खवचनसमानार्थतया । व्याख्यातं चेदं शङ्खवचनं विद्यारण्यश्री चरणैः पराशर स्मृति टीकायाम्-पैतृकद्रव्यविभाग काले स्वधृतमलङ्कारादिकमपि कन्याप्राप्नोतीत्याह शङ्ख इति । यदि तु वैवाहिकं विवाहोपयोगि पितृव्यं कन्याभ्यो देयमित्यर्थः स्याद् वसुपदं पुनरुक्तं स्यादिति पृथग् विधिद्वयमेवात्र युक्तम् । तस्मादस्मदुक्तमेव व्याख्यानमादर्तुमहं नतु विवाहोपयुक्त द्रव्य परतेत्यवसेयम् ॥

(व्यवहार प्रकाश 456/457, धर्मकोष पृ. 1422) अर्थात् स्मृति चन्द्रिकाकार ने इस वचन का यह जो अर्थ किया है कि कन्याओं को केवल विवाहोपयोगी द्रव्य पिता की सम्पत्ति में से देना चाहिए यह ठीक नहीं है । यहां दो विधान हैं। एक तो यह कि कन्याओं को पैतृक धन देना चाहिए जो मनुस्मृति आदि के अनुसार चौथा हिस्सा है । दूसरी विधि यह है कि कन्याओं को विवाहोपयोगी द्रव्य देने चाहिए जैसे कि शङ्ख स्मृति में भी बताया गया है अन्यथा वसुपद व्यर्थ और पुनरुक्त होता। इसलिए हमारा अर्थ ही मानने योग्य है कि कन्याओं को पिता की सम्पत्ति में से हिस्सा (जो पुत्र का चौथा भाग हो) देना चाहिए और विवाहोपयोगी द्रव्य देने चाहिए।

(13) पैठानसि स्मृति में कहा कि 'कन्या वैवाहिकं स्त्रीधनं च लभते ।' (व्यवहारनिर्णय तथा व्यवहारार्थ समुच्चय 129 से धर्मकोष पृ. 1422 में उद्धृत)

अर्थात् कन्या विवाहोपयोगी द्रव्य और धन के अतिरिक्त माता के स्त्रीधन को प्राप्त करे ।

(14) स्मृत्यन्तर से निम्न वचन स्मृतिचन्द्रिका 268 और व्यवहारार्थ समुच्चय 129 में उद्धृत किया गया है :-

भ्रातृभ्योऽंशं, चतुर्थांशं तत्र कन्या हरेद्धनम् ॥ अर्थात् कन्या प्रत्येक भाई के हिस्से के चौथे भाग को पैतृक सम्पत्ति में से प्राप्त करे ।

(15) कौटलीय अर्थशास्त्र 3/5 में कहा है कि,

रिक्थं पुत्रवतः पुत्रा दुहितरो वा धर्मिष्ठेषु विवाहेतु जाताः ॥

अर्थात् सन्तान वाले पिता के धन को उत्तम विवाहविधि से उत्पन्न पुत्र और पुत्रियां प्राप्त करें।

(16) शुक्राचार्य ने अपनी स्मृति में जिसे शुक्रनीति के नाम से कहा जाता है बताया है कि समानभागा वै कार्याः, पुत्राः स्वस्य च वै स्त्रियः । स्वाभागार्धहरा कन्या, दौहित्रस्तु तदर्थभाक् ॥

(शुक्रनीति 4, 5, 299)

अर्थात् पिता की सम्पत्ति में से पुत्रों और स्त्रियों को समान 2 भाग मिलना चाहिए । कन्याओं को पुत्रों के भाग का आधा और घेषते को उसका भी आधा । इसी प्रकार अन्य भी बहुत से वचन स्मृतियों तथा अन्य ग्रन्थों में कन्याओं के दाय भाग में अधिकार के पाए जाते हैं किन्तु उनमें कन्या का भाग प्रायः पुत्र को चौथा हिस्सा माना गया है । इन वचनों से यह तो स्पष्ट है कि वह कन्याओं को पैतृक सम्पत्ति में से भाग देने की प्रथा धर्मविरुद्ध या मुसलमानी नहीं है । इस विषय पर अन्य दृष्टियों से विचार मैं अगले लेख में करूंगा ।

●●

(हिन्दू कोड बिल पर कुछ विचार-10)

## पुत्रियों के दायभागाधिकार पर विमर्श

(पूर्वार्ध)

### पं. धर्मदेव विद्यावाचस्पति

पुत्रियों के पैतृक धन में दायभागाधिकार के सम्बन्ध में 16 प्रमाणों द्वारा विवेचन पूर्व लेखों में किया जा चुका है । अन्य भी अनेक प्रमाण इस विषय में उपलब्ध होते हैं किन्तु विस्तार भय से उन सबका उल्लेख करना यहां सम्भव नहीं है । शङ्खु लिखित स्मृति का निम्न वचन इस विषय में अवश्य उल्लेखनीय है जिसका कुछ निर्देश एक उद्धरण में किया जा चुका है:-

(17) “विभज्यमाने दायद्ये कन्यालङ्घारं वैवाहिकं, स्त्रीधनं च कन्या लभेत ।”

इस का अर्थ यह है कि जब दायभागादि का विभाग किया जाय तो कन्या भूषण, विवाहोपयोगी द्रव्य तथा स्त्रीधन को प्राप्त करे । स्मृतिचन्द्रिका 269/270 में इस वाक्य की व्याख्या में लिखा है, “मातृनिर्विभाज्यमाने कन्या स्वघृतमलङ्घारं, वैवाहिकं तुरीयांशादिधनं स्त्रीधनं च, पित्रादिर्दत्तं लभेतेति ।” यहां पुत्र के चतुर्थ भाग लेने का भी स्मृतिचन्द्रिकाकार ने उल्लेख कर दिया है ।

पिता की सम्पत्ति में चतुर्थ भाग लेने के अतिरिक्त मातृधन पर भी पुत्रियों के अधिकार का बहुत सी स्मृतियों तथा महाभारतादि में प्रतिपादन है । उदाहरणार्थ विष्णुस्मृति से निम्न वचन श्री प्रतापरुद्रदेव रचित सरस्वती विलास में उद्धृत किया गया है यौतुकं मातुः कुमारी दाय एव । (सरस्वती विलास पृ. 382)।

अर्थात् माता के द्रव्य पर (यौतुकं अन्योन्यान्वितमोवधूर्वरयोर्देयं यत् तद्ध नम्) कुमारियों का अधिकार होता है ।

(18) मनुस्मृति 9/192 में मातृधन विभाग के विषय में कहा है:

“जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः । भजेरन् मातृकम् रिक्थम् भगिन्यश्च सनाभयः ॥”

अर्थात् माता के मरने पर उसके धन को भाई और बहिनें बांट लें।

(19) बृहस्पति स्मृति में इस विषय में लिखा है-

“स्त्रीधनं तदपत्त्यानां, दुहिता च तदंशिनी ।

अप्रत्ता चेत्समूढा, तु, लभते मानमात्रकम् ॥”

“या तस्य भगिनी सातु, ततोऽंशं लब्धुमर्हति ।

अनपत्यस्य धर्माऽयम् अभार्यपितृकस्य च ॥” 26/108

“सा च दत्ता स्वदत्ता वा, सोदरे तु मृते सति ।

तस्यांशं तु, हरेत्सैव, द्वयोर्व्यक्तं हि कारणम् ॥” 26/109

“सोदर्या विभजेरस्ते, समेत्य सहिताः समम् ।

भ्रातरो ये च संसृष्टाः, भगिन्यश्च सनाभयः ॥” 26/114

इन श्लोकों में कहा गया है कि स्त्रीधन उस मृत स्त्री के पुत्रों का होता है और पुत्री का भी उसमें भाग होता है यदि वह अविवाहित हो । विवाहिता उस में से मान व प्रतिष्ठार्थ द्रव्य प्राप्त कर सकती है । यदि किसी का भाई मर जाए तो उसकी बहिन को भी उसके धन में से भाग मिलना चाहिए । चाहे वह पुत्रिकारूप में दी हुई हो या न हो, भाई के मरने पर उस का भाग उस बहिन को मिलना चाहिए क्योंकि दोनों के जन्म का मूल एक ही है । संसृष्ट व मिली हुई पैतृक सम्पत्ति को भाई-बहिन मिल कर बांट लें।

याज्ञवल्क्य स्मृति 2/117 व्यवहाराध्याय में लिखा है:— “मातृद्विहतरः शेषम्, ऋण ताभ्य ऋतेऽन्वयः”। इस की मिताक्षरा व्याख्या में विज्ञानेश्वर ने लिखा है—मातृकृत्तम् ऋणं पुत्रैरेवापकरणीयं न दुद्वितृभिः ऋणावरिष्टं तु दुहितरो गृहणीयुरिति । युक्तं चैतत् पुमान् पु सोधिके वीर्ये, स्त्रीभवत्यधिके स्त्रियाः इति स्त्रयवयवानां दुहितृषु बाहुल्यात् स्त्रीधनं दुहितृगामि पितृधनं पुत्रगामि पित्रवयवानां पुत्रेषु बाहुल्यादिति । तत्रच गौतमेन विशेषो दर्शितः ।

“स्त्रीधन दुहितृणाम् अप्रतिष्ठितानां अप्रतिष्ठानां च” गौतम धर्मसूत्र 28/25 ॥

अर्थात् माता पर कोई ऋण हो तो उसको चुकाना पुत्रों का कर्तव्य है पुत्रियों का नहीं । ऋण को चुका कर जो धन बचे उसको पुत्रियां ले ले । मनु के वचनानुसार लड़कियों में माता के अवयव का अधिक भाग होने के कारण स्त्रीधन पर लड़कियों का और पिता के धन पर पुत्रों का अधिक अधिकार होता है । इस विषय में गौतम ने इस प्रकार विशेष दर्शाया है कि ‘स्त्रीधन अविवाहिता और अप्रतिष्ठिता अथवा निर्धना लड़कियों का होता है ।’

(21) जहां तक अभ्रातृका का संबंध है, महाभारत अनुशासन पर्व 88/22 में कहा है ‘अभ्रातृका समग्रार्हा, चार्धाह्वित्वपरे विदुः॥

अर्थात् जिसके भाई न हो ऐसी पुत्री का पिता की सारी सम्पत्ति पर अधिकार होता है ऐसा अनेक आचार्यों का मत है । किसी किसी का मत यह है कि उसका आधी सम्पत्ति पर अधिकार है ।

(22) नारद स्मृति 16/50 में ऐसी अभ्रातृका के विषय में कहा है ।

‘पुत्राभावे तु दुहिता, तुल्यसन्तानकारणात् ।

पुत्रश्च दुहिता चोभौ, पितुः सन्तानकारकौ ॥

(नारदीय मनुसंहिता 14/47)

अर्थात् पुत्र के अभाव में पुत्री को पैतृक सम्पत्ति में पूरा अधिकार होता है कि वह भी पिता की पुत्र के समान ही सन्तान है ।

(23) महाभारत अनुशासनपर्व 45/12 में लिखा है, ‘मातुश्च यौतुके यत्स्यात् कुमारीभाग एव सः ॥’

अर्थात् माता के धन पर कुमारी का अधिकार होता है ॥

(24) बृहस्पति स्मृति 26/132 में कहा है— ‘सदृशी सदृशेनोढा, शूश्रूषणे रता । कृताऽकृता वा पुत्रस्य, पितुर्धनहरी तु सा ॥’

## ANNEXURE II

1365

अर्थात् जो पुत्री पिता के समान गुणकर्म स्वभाव वाली अपने समान योग्य पति से ब्याही गई हो, साध्वी पतिव्रता हो वह पिता के दाय भाग में अधिकारिणी होती है चाहे उसे पुत्र के रूप में माना गया हो या नहीं । इन वचनों पर निष्पक्ष दृष्टि से विचार करने पर हम इन परिणामों पर पहुंचते हैं—(1) जो कन्याएं आजीवन ब्रह्मचर्य का गार्गी सुलभा आदि की तरह अनुष्ठान करके सामाजिक व राष्ट्रीय सेवा में अपने को समर्पित कर दे उनका पिता की सम्पत्ति में पुत्रों के समान अधिकार होता है और उन्हें अपने निर्वाहार्थ पुत्र के समान भाग मिलना चाहिए । यदि यह अविवाहित रहना किसी शारीरिक दोषादि के कारण हो तो भी पिता की सम्पत्ति से ऐसी पुत्रियों को भाग मिलना चाहिए ।

(2) पिता की एकमात्र सन्तान पुत्री का पिता की सम्पत्ति पर अपनी माता के होते हुए उसके बराबर अन्यथा पूरा अधिकार है ।

(3) अविवाहिता कन्याओं को पिता की सम्पत्ति में भाइयों के भाग का चौथाई अंश मिलना चाहिए ऐसा मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, देवल, बृहस्पति, कात्यायन, विष्णु वृद्धहारीत आदि प्रायः सभी स्मृतिकारों ने माना है । शुक्राचार्य कन्याओं को पुत्रों का आधा भाग पैतृक सम्पत्ति में देने के पक्षपाती हैं।

(4) विवाहिता पुत्रियों की भी पिता की सम्पत्ति में अधिकार हो इसका समर्थन करने वाले केवल तीन वचन मेरी दृष्टि में आये हैं । इनमें भी सब विवाहिता पुत्रियों को नहीं केवल अप्रतिष्ठिता अर्थात् निर्धना विवाहिता पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में से पुत्रों का चौथा भाग देने के विधान है । ये वचन विष्णुस्मृति, गौतमधर्मसूत्र और बृहस्पति स्मृति के हैं जिनको मैंने इससे पूर्व लेख में उद्धृत किया है । विष्णु का वचन जो पिछले लेख में छपा है इस प्रकार है:— ‘अनूढानां अप्रतिष्ठितां एवांशो दातव्यः’ अर्थात् अविवाहित और निर्धना पुत्रियों को ही पैतृक सम्पत्ति में से भाग मिलना चाहिए । सुप्रसिद्ध सनातनधर्माभिनामी दाक्षिणात्य विद्वान महामहोपाध्याय पं. अनन्तकृष्ण शास्त्री ने हिंदू ला कमेटी के सामने साक्षी देते हुए कहा था कि याज्ञवल्क्यस्मृति की मेरी व्याख्या के अनुसार एक पुत्री, चाहे वह विवाहिता हो अथवा अविवाहिता, पैतृक सम्पत्ति में से चौथे भाग की, जो विवाह विषयक खर्च के अतिरिक्त हो, अधिकारिणी है । (देखो हिंदू ला कमेटी रिपोर्ट 1947 पृ. 32).

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार यह है कि अविवाहित कन्याओं को पुत्र के भाग का एक चौथाई पैतृक सम्पत्ति में से देना सर्वथा शास्त्रसम्मत और उचित है । उनके अतिरिक्त निर्धना विवाहिता पुत्रियों को भी पैतृक सम्पत्ति में से भाग लेने का शास्त्रानुसार अधिकार है, यद्यपि इसके निश्चय करने में व्यावहारिक कठिनाइयां अवश्य हैं ।

(हिन्दू कोड बिल पर कुछ विचार-11)

## पुत्रियों के दायभागधिकार पर विमर्श

(उत्तरार्ध)

पं. धर्मदेव विद्यावाचस्पति

प्रस्तुत हिन्दू कोड बिल में वसीयतहीन मृत पिता की लड़कियों को लड़कों के बराबर देने का जो प्रस्ताव है उससे मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि यदि लड़कियों को पिता की सम्पत्ति में से पुत्रों के समान भाग मिले, पति की सम्पत्ति में भी विवाहिता पत्नी का अधिकार हो, माता के स्त्रीधन में से अधिक भाग उसका हो तो वह न्याय संगत बात प्रतीत नहीं होती। सब कमेटी ने लड़कियों को बिना वसीयत मृत पिता की सम्पत्ति में पुत्रों से आधा भाग देने का प्रस्ताव किया था किन्तु प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) के अनेक सदस्यों से प्रतीत होता है कि विरोध की प्रतिक्रिया के रूप में उसे लड़कों के बराबर देने का विचार प्रकट कर दिया जिसे हम बुद्धिमत्तापूर्ण व न्यायसम्मत नहीं कह सकते। वस्तुतः ऐसा करके उन्होंने हिन्दू कोड बिल के विरुद्ध आंदोलन को अनजाने प्रबल बनाने में सहायता दी। यदि वे इस लेखमाला में उद्धृत शास्त्रीय वचनों को दृष्टि में रखते हुए और मद्रास हाईकोर्ट में भू. पू. सुयोग्य जज सर वेपा रामेशम् जैसे सुधार प्रेमी महानुभावों के वचनानुसार लड़कियों के पिता की सम्पत्ति में से लड़कों का चौथा भाग देने का प्रस्ताव भी रखते तो इस बिल का इतना विरोध न होता यह मुझे निश्चय है। अतः मेरा अब भी इस बिल के प्रस्तावक महोदय से सानुरोध निवेदन है कि वे लड़कियों को वसीयत हीन मृत पिता की सम्पत्ति में लड़कों के चौथे भाग देने का संशोधन स्वीकार कर लें। कोई निष्पक्ष व्यक्ति शास्त्रीय दृष्टि से भी इसका विरोध करने का साहस न करेगा और व्यावहारिका दृष्टि से भी विचार करने वालों को वह अधिक न्याय संगत प्रतीत होगा।

इस प्रस्ताव के विरोध में यह कहा जाता है कि लड़कियों का पैतृक सम्पत्ति में भाग होने से भाई बहनों के झगड़े बढ़ जायेंगे और उनमें परस्पर प्रेम नहीं रहेगा। यह युक्ति कुछ भी प्रबल नहीं। इस युक्ति के अनुसार तो भाइयों में भी परस्पर विभाजन नहीं होना चाहिए। संसार की प्रायः सभी जातियों में लड़कियों को पिता की सम्पत्ति में भाग मिलता है उससे उनके अन्दर प्रेम नहीं रहता अथवा झगड़े बढ़ जाते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। गोआ में भी एक ही सिविल कोड हिन्दुओं, इसाईयों, मुसलमानों सब पर लागू है जिसके अनुसार लड़कियों को लड़कों की तरह पैतृक सम्पत्ति में भाग मिलता है किन्तु जांच करने पर पता लगा है कि भाई बहनों के झगड़ों के उदाहरण वहां नहीं के बराबर हैं। भाई बहनों का प्रेम इसलिए न रहे कि बहिन को भी मृत पिता की सम्पत्ति में कुछ भाग (जो हमारे शास्त्रसम्मत और न्याय संगत प्रस्तावानुसार भाई के भाग का चौथाई) मिलता है तो ऐसे प्रेम को तो केवल स्वार्थमूलक ही कहना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री. ए. सी. गुप्त और मद्रास के सर पी. एस. शिवस्वामी ऐय्यर ने हिन्दू ला कमेटी की सामने साक्षी देते हुए इस युक्ति के खण्डन में ठीक ही कहा था कि भाई

## ANNEXURE II

1367

का वह कैसा प्रेम होगा जो अपने स्वार्थ या भाग की थोड़ी सी हानि से टूट जायेगा। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि जब बहिन को कोई भाग न दिया जाय तब प्रेम अधिक होगा अन्यथा नहीं।

इस पर भी यदि किन्हीं महानुभावों को यह आशंका हो तो उन्हें अपनी वसीयत में यह लिखा देने का अधिकार है कि हमारी पुत्रियों को सम्पत्ति में कोई भाग न दिया जाए। वह प्रस्ताव केवल वसीयत किए बिना मृत व्यक्ति की सम्पत्ति के विषय में है कि उसकी लड़की को भी भाग मिले, अन्यो के विषय में नहीं। इस बात को प्रायः लोग नहीं जानते अथवा भूल जाते हैं। अपनी वसीयत में कुछ भी निर्देश लिखने का प्रत्येक को अधिकार है, जिसका लड़कियों को पैतृक सम्पत्ति में भाग देने के विरोधी अच्छी प्रकार उपयोग कर सकते हैं ।

यह आक्षेप किया जाता है और उसमें कुछ तथ्य है कि यदि लड़कियों को पैतृक सम्पत्ति विशेषतः चल सम्पत्ति में अधिकार दिया जायेगा तो उससे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। विवाह के पश्चात् लड़कियां सम्पत्ति को कहां और कैसे ले जाएंगी। इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि भाई बहनों की सम्पत्ति को खरीद लें। सबसे प्रथम अधिकार उन्हें ही दिया जाए। यही विचार श्रीयुत कन्हैया लाल जी मुंशी आदि कई सुप्रसिद्ध महानुभावों ने प्रकट किया था। एक दूसरा संशोधन इस विषय में यह प्रस्तुत किया जाता है जो हमें उचित ही प्रतीत होता है कि लड़कियों को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में रहने और उसके उपयोग का अधिकार हो किन्तु उसे अन्यो को बेचने अथवा उसके किसी भाग को किराये पर देने का अधिकार न होना चाहिए।

इस संशोधन को यदि स्वीकार कर लिया जाय तो उपर्युक्त आक्षेप का बहुत कुछ समाधान हो जाता है ।

क्योंकि लड़कियां मृत पितरों के लिए पिण्ड नहीं देतीं अतः उनका पिता की सम्पत्ति में कोई भाग न होना चाहिए यह युक्ति जो मदुरा के राव साहब नरेश ऐय्यर, महामहोपाध्याय चिन्न स्वामी शास्त्री तथा अन्य बहुत से पौराणिक पंडितों ने प्रस्तुत की इतनी निस्कार है कि इस विषय में कुछ भी लिखना अनावश्यक है । विवाह पर जो आडम्बरपूर्ण व्यर्थ व्यय आज कल किए जाते हैं, जिनसे सिवाय अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के कोई लाभ नहीं होता प्रत्युत हजारों परिवार सदा के लिए ऋण से दब जाते हैं, उनको कम करके लड़कियों की शिक्षा तथा आपत्ति के समय सहायतार्थ पैतृक सम्पत्ति में से भाग दिलाया जाये तो वह सर्वथा उचित ही होगा । दहेज इत्यादि की हानिकारक और आडम्बरपूर्ण प्रथाएं भी इससे बहुत न्यून हो जायेंगी और लड़कियों को आपत्ति के समय वास्तविक लाभ हो सकेगा। आशा है इन पंक्तियों पर विचारशील लोग गम्भीरता से विचार करेंगे।

(हिन्दू कोड बिल पर कुछ विचार-12)

## संयुक्त परिवार प्रथा

### पं. धर्मदेव विद्यावाचस्पति

प्रस्तुत हिन्दू कोड बिल में जिन धाराओं के विरुद्ध घोर असन्तोष प्रकट किया जा रहा है उन में से निम्न धाराएं भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

धारा 86 परिवार में जन्म सम्पत्ति पर अधिकार स्थापित नहीं करता । इस कोड के आरम्भ होने पर तथा उसके बाद, पूर्वज के जीवन काल के दरम्यान उसकी सम्पत्ति में हित रखने का दावा करने का अधिकार जो कि केवल इस तथ्य पर निर्धारित है कि दावेदार का जन्म उक्त पूर्वज के परिवार में हुआ था किसी भी अदालत में स्वीकृत नहीं होगा।

(87) संयुक्त आसामी का स्थान सम्मिलित आसामी के रूप में बदल जाएगा:—

प्रस्तुत कोड के आरम्भ पर तथा उसके बाद कोई भी अदालत, संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में हित रखने के किसी ऐसे अधिकार को मान्य नहीं करेगी जो कि उत्तराधिकार के नियम पर अवलम्बित हैं और समस्त व्यक्ति जिनके जिस दिन यह कोड कार्यान्वित हो जाएगा उस दिन कोई संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है वह उक्त सम्पत्ति बतौर सम्मिलित आसामियों के (टेनेन्ट्स इन कामन) Tenants in common अपने पास रखते हैं ऐसा विचारा जायेगा। मानो कि कोड के आरम्भ की तिथि पर ऐसी सम्पत्ति के विषय में संयुक्त परिवार के समस्त सदस्यों के बीच बंटवारा हो गया था और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग एकपरिपूर्ण स्वामी के रूप में अपने पास अलग रखते हैं । इत्यादि :—

(88) हिन्दू पत्र के धार्मिक कर्तव्य का (पायस आब्लिगेशन) pious obligation का नियम खंडित किया जाता है (1) इस कोड के आरम्भ मे पश्चात् कोई भी अदालत सिवाय उसके जैसा कि उपधारा 2 में विनिहित किया गया है, किसी पुत्र, पौत्र, पौत्र के विरुद्ध, उसके पिता, पितामह, और प्रपितामह द्वारा लिये गये ऋण की वसूली के लिये और ऐसे किसी ऋण की अदायगी के सम्बन्ध में किसी सम्पत्ति को अधिकार में लेने के लिए इस आधार पर कि ऐसे किसी ऋण को चुका देगा उक्त पुत्र, पौत्र अथवा प्रपौत्र का धार्मिक कर्तव्य है, कानूनी कार्यवाही करने के अधिकार को स्वीकृत नहीं करेगी।

(2) इस कोड के प्रयोग में आने से पहिले यदि कोई ऋण लिया गया है तो उस हालत में उपधारा 1 में उल्लिखित कोई भी बात निम्नांकितों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(अ) किसी भी लेनदार का पुत्र, पौत्र, और प्रपौत्र जैसे कि सूरत हो, के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही दायर करने का अधिकार या ऐसे किसी देन की वसूली के सम्बन्ध में किया गया किसी सम्पत्ति का स्वत्वार्पण या इन्तकाल (Alienation) और ऐसा कोई अधिकार या स्वत्वार्पण धार्मिक कर्तव्य के नियम के अधीन उसी प्रकार और उसी सीमा तक प्रयोग में लाया जायेगा जैसा कि यह कोड पास न होने की अवस्था में किया जाता।

## ANNEXURE II

1369

89—संयुक्त परिवार के सदस्यों की कोड के पहिले की ऋण विषयक जिम्मेदारियों में परिवर्तन नहीं होगा—जहां इस कोड के आरम्भ से पहिले संयुक्त परिवार के नियामक एवं कर्ता द्वारा परिवार के प्रयोजनार्थ कोई कर्जा लिया गया हो तो उस अवस्था में इस कोड में उल्लिखित कोई भी बात संयुक्त परिवार की किसी भी सदस्य की उक्त ऋण चुका देने की जिम्मेदारी पर लागू नहीं होती और ऐसी कोई जिम्मेदारी ऐसे समस्त या किन्हीं भी व्यक्तियों पर जो उसके लिए उत्तरदायी हैं इसी प्रकार और इसी सीमा तक आएद की जायेगी जैसी वह कोड पास न होने की सूरत में की जाती । इत्यादि।

सबसे बड़ी आपत्ति जो इस धाराओं के सम्बन्ध में उठाई जाती है इनके द्वारा संयुक्त परिवार प्रथा का, जो कि अनादि काल से चली आ रही एक धार्मिक प्रथा है, अंत हो जाएगा। हिन्दू कोड बिल पर जो वाद-विवाद पिछले दिनों भारतीय राष्ट्रसंसद में होता रहा है उसको 4 दिन सुनने का अवसर मुझको भी प्राप्त हुआ। मुझे यह देखकर सचमुच आश्चर्य हुआ कि इसके सबसे कट्टर विरोधी एक और प्रकार से कोड विरोधी दल के प्रमुख नेता मौलाना नसीरुद्दीन अहमद हैं । जिन्होंने पग-पग पर इसकी प्रगति में रोड़े अटकाने का सिर तोड़ यत्न किया और श्रोताओं के नितान्त अरुचि प्रकट करने पर भी 7 घण्टों का भाषण कोड के विरुद्ध दिया। एक कट्टर मुस्लिमलीगी सज्जन के साथ पं. लक्ष्मीकांत मैत्रेय जैसे कट्टर पंथी सनातन धर्माभिमानी का यह गठबंधन सदस्यों और दर्शकों को अवश्य आश्चर्यचकित करने वाला प्रतीत होता है। यदि सचमुच मौलाना नसीरुद्दीन अहमद का हिंदूधर्म, हिंदू सभ्यता तथा प्रथाओं पर इतना विश्वास हो गया है कि वे इनके गुण गाते नहीं थकते तो क्यों नहीं वे इसको ग्रहण कर लेते? 2 अप्रैल के भाषण में मौ. नसीरुद्दीन अहमद ने तलाक के विरुद्ध और संयुक्त परिवार प्रथा के समर्थन में बहुत कुछ कहा। ऐसा ही पं. लक्ष्मीकांत और अजमेर के पं. मुकुट बिहारीलाल भार्गव ने भी कहा। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रायः लोप ही होता जा रहा है। वर्तमान नियमों के अनुसार परिवार का कोई भी सदस्य साधारण पत्रादि द्वारा प्रार्थना करके भी उसके पृथक् हो सकता है । भारतीय न्यायालयों और प्रिवीकौंसिल के निर्णय संयुक्त परिवार के सदस्यों के इस अधिकार का स्वीकृत करने के पक्ष में हैं। पुराने और नये विचार वाले लोगों के रहन-सहन आचार-विचारदि में भेद इतना बढ़ गया है तथा अन्य भी अनेक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें संयुक्त परिवार प्रथा स्वयमेव नष्टप्राय हो चुकी है और प्रतिदिन होती जा रही है किन्तु मैं उनके नियम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। मैं तो इस बात पर शास्त्रों की दृष्टि से कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं जिनके नाम की दुहाई हमारे पौराणिक भाई और मौ. नसीरुद्दीन अहमद जैसे उनके वकील देते हैं। पाठक महानुभाव स्मृतियों के निम्न वचनों पर गम्भीरता से निष्पक्ष होकर विचार करें।

(1) मनुस्मृति 9/111 में लिखा है:—

**एवं सह वसेयुर्वा, पृथग् वा धर्म काम्यया।**

**पृथग् विवर्धते धर्मः तस्माद धर्मा पृथक् क्रिया ॥**

अर्थात् इस प्रकार भाई साथ रहें अथवा अलग अलग रहें यह उनकी इच्छा पर निर्भर है। पर अलग-अलग रहने से धर्म की वृद्धि होती है इसलिए अलग-अलग रहकर कर्म करना धर्म-सम्मत है। इसकी व्याख्या में कुल्लूक भट्ट ने लिखा है कि “एवम् अविभक्ता भ्रातरः सह वसेयुः यदि वा धर्मकामनया कृतविभागाः पृथग् वसेयुः यस्मात् पृथगवस्थाने सति पृथग-पृथग महायज्ञाद्यनुष्ठानधर्मस्तेषां विवर्धते तस्माद विभागक्रिया धर्मार्था।” अर्थात् इस प्रकार भाई अविभक्त रह कर साथ रहें अथवा

धर्म की कामना से विभाग (बंटवारा) करके अलग-अलग रहें, क्योंकि अलग-अलग रहने पर पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान अलग-अलग होने से धर्म बढ़ता है। इसलिए विभाग किया अर्थात् बंटवारा करके अलग-अलग क्रिया करना धर्म के अनुकूल है।

मेधातिथि ने भी इस श्लोक की ऐसी ही व्याख्या करके यहां तक लिखा है कि “यस्तु जीवत्येध पितरि कृतविवाहस्तदैव परिगृहीताग्निस्तस्याधिकृततत्त्वानैवा—विभागः नहि विभागाधि भागयोर्धर्मधमंत्वं स्वरूपेणास्तीत्युक्तम्॥”

(मनुस्मृति, मेधातिथिभाष्य, 2य भाग, कलकत्ता संस्करण पृ. 273)

अर्थात् जो पिता के जीवित होते हुए विवाह कर लेता है और तब गृह्याग्नि का ग्रहण करता है उसका संयुक्त परिवार से विभाग (पृथक् हो जाना) अनिवार्य या अत्यावश्यक है। परिवार के सदस्यों के विभाग होने या न होने में कोई धर्म या अधर्म नहीं है, यह हम बता चुके हैं।

(2) बृहस्पति स्मृति में इस विषय में कहा गया है :-

**एकपाकेन वसतां, पितृदेवार्चनादियम् । एकं भवोद्विभक्तानां, तदेवस्याद् गृहे गृहे॥**

(बृहस्पति स्मृति 26/5 पृ. 96 बड़ौदा संस्करण)

अर्थात् भाई इत्यादि यदि इकट्ठे रहें और एक स्थान पर भोजन खाएं तो पितृयज्ञ, देवयज्ञादि एक ही हो सकता है किन्तु यदि वे विभक्त हो अलग-अलग रहें तो ये यज्ञ प्रत्येक घर में होते हैं इसलिए विभक्त होकर रहना ही अधिक अच्छा है।

(3) गौतम धर्म सूत्र 284 में भी इसी बात को लेके छोटे से सूत्र द्वारा प्रकट किया गया है जो निम्नलिखित है:-

**‘विभागे तु धर्मवृद्धिः-**

अर्थात् संयुक्त परिवार की अपेक्षा उससे विभक्त हो जाने पर धर्म की वृद्धि होती है।

इसी प्रकार के वचन अन्य भी ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं किंतु इतने ही उन लोगों के वचन को आयथार्थ सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। जो संयुक्त परिवार की प्रथा को प्राचीन आर्य हिन्दू धर्म और संस्कृति का अनिवार्य या अत्यावश्यक अंग मान कर उसके भंग को अधर्म्य समझते हैं। वास्तव में धर्म की दृष्टि से बात इससे ठीक विपरीत है। हां, यह तो आवश्यक धर्म है कि सबका परस्पर प्रेम और पूर्ण सहानुभूति हो, किसी प्रकार का विरोध भाव न हो। अथर्ववेद 3/30 में ऐसा ही आदेश है।

**सहृदयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमिवः। अन्यो अन्यमभिहृत्य वत्सजार्तामिवाध्या ॥**

अर्थात् मैं तुम्हारे अंदर हृदय और मन की एकता और अद्वेष भाव को स्थापित करता हूं।

तुम आपस में ऐसा प्रेम रखो जैसा गाय नवजात बछड़े के प्रति रखती है।

व्यावहारिक दृष्टि से संयुक्त परिवार प्रथा के पक्ष-विपक्ष में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, किंतु मैं उस विषय में लिखना यहां आवश्यक नहीं समझता। वैयक्तिक शक्तियों का विकास, स्वावलम्बनादि गुणों की वृद्धि रहने में अधिक हो सकती है ऐसा लोगों का प्रायः अनुभव है। सम्बन्धियों तथा अन्यो के प्रति दया और सहानुभूति प्रदर्शित करना तो प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है ही। धार्मिक दृष्टि से इतना निर्देश ही पर्याप्त है।

(हिन्दू कोड बिल पर कुछ विचार-13)

## हिन्दू कोड बिल की आवश्यकता

### पं. धर्मदेव विद्यावाचस्पति

गत लेख में मैंने संयुक्त परिवार प्रथा के सम्बन्ध में धार्मिक दृष्टि से कुछ प्रकाश डाला था। जन्मजात अधिकार की सम्पत्ति के विषय में विशेष लिखने की आवश्यकता मैंने नहीं समझी। हम वैदिकधर्मी तो जन्मसिद्ध अधिकार किसी विषय में भी नहीं मानते, “अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते स भ्रातरो वावृधुः सौभगाय । युवा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुधा वृश्निः सुदिना मरुद्भ्यः ॥” (ऋग्वेद 5/625)

इत्यादि मन्त्रों में मनुष्यमात्र की भ्रातृता तथा समानता का तात्त्विक दृष्टि से प्रतिपादन करते हुए जन्मसिद्ध अधिकार का निराकरण किया गया है। बौद्ध, जैन, सिक्ख आदि मतानुयायी भी समानता के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं जिससे जन्मसिद्ध अधिकार का समर्थन नहीं होता। महर्षि दयानन्द तो यहां तक बढ़ गए हैं कि उन्होंने केवल गुण-कर्म-स्वभाव पर आश्रित वर्णव्यवस्था के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए सत्यार्थप्रकाश में स्पष्ट लिखा है कि :-

“न किसी की सेवा का भंग और न वंशच्छेदन होगा क्योंकि उनको अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे सन्तान विद्यासभा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे इसलिए कुछ भी अव्यवस्था न होगी।” मिताक्षरा और दायभाग के अन्तर के विस्तार में जाना इस लेख में संभव नहीं किन्तु इस विषय में पटना के एक विद्वान रिटायर्ड सबजज ने हिन्दू ला कमेटी के सम्मुख साक्षी देते हुए एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और युक्तिसंगत बात अपने अनुभव के आधार पर कही जिसका उल्लेख मुझे यहां उचित प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि “मिताक्षरा की अपेक्षा दायभाग अधिक उपयुक्त है। मैं संयुक्त परिवार प्रथा, पुत्र के जन्मजन्य अधिकारादि को समाप्त करने के पक्ष में हूँ। मैं देखता हूँ कि बिहार में धनी परिवारों के बालक आलसी होते हैं क्योंकि सम्पत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है जब कि बंगाल में जहां दायभाग के अनुसार नियम प्रचलित है, बालक कर्मशील और साहसी होते हैं क्योंकि उन्हें धनी परिवार में जन्म लेने के ही कारण कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता।”

(देखो हिन्दू ला कमेटी पृ. 154)

पिता, पितामह के ऋण की नैतिक उत्तरदायिता से पुत्र, पौत्रादि को मुक्त करने की बात जो पूर्वोद्धृत धारा 88 में कही गई है युक्तियुक्त तथा न्यायसंगत प्रतीत होती है।

जहां तक सर्वसामान्य हिन्दू कोड बिल की आवश्यकता व उपयोगिता का प्रश्न है, मेरा विश्वास है कि किसी भी संगठन प्रेमी समाजहितैषि का इस विषय में मतभेद होना असम्भवप्राय है। अब अधिकतर स्थानीय व प्रांतीय रूढ़ियों व रीतिरिवाजों के विधान (कानून) का स्थान

ले रक्खा है । ‘रूढ़िः शास्त्राद् बलीयसीः’ इस हानिकारिका और संगठन तथा एकता में बाधिका उक्ति ने कि रूढ़ि शास्त्र से भी अधिक प्रवल होती है, हिन्दु समाज को जीर्णशीर्ण बना दिया है । कानून का निश्चय करने में भी इसके कारण बड़ी कठिनाई होती है, और न्यायालयों के परस्पर विरुद्ध निर्णय के कारण धन और शक्ति का बड़ा अपव्यय होता है अतः एक सर्वसामान्य हिन्दू कोड का होना प्रत्येक दृष्टि से वांछनीय है । महर्षि दयानन्द ने स्वराज्य के महत्व को “कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है, अथवा मतमतान्तर के आग्रह रहित, अपने पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर माता-पिता के समान कृपा, न्याय और अन्याय के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है।” इन शब्दों में दिखाते हुए लिखा “परन्तु भिन्न-भिन्न भाषा, शिक्षा, अलग-अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है । बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है ।”

(सत्यार्थप्रकरण 8 में सूत्र)

मुझे इसमें सन्देह प्रतीत नहीं होता है कि हिन्दू कोड अलग अलग व्यवहारादि जन्म विषमता को दूर करने में सहायक होगा अतः यह उपयोगी है । केवल हिन्दुओं के लिए ही नहीं, सभी भारतीयों के लिए एक सर्वसामान्य व्यवहार संहिता (कोड) बनाई जाय इस मांग में मुझे कोई बुराई प्रतीत नहीं होती पर उसमें अधिक समय लगेगा । उससे पूर्व हिंदुओं के संगठन को दृढ़ करने तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए हिन्दू कोड की भी उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता । मौलाना नसीरुद्दीन अहमद जैसे व्यक्ति जो कट्टर मुस्लिम लीगी रहे हैं और जिनकी मनोवृत्ति में अब विशेष परिवर्तन हो गया है, ऐसा मानने का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता, यदि इस दृष्टि से भी हिन्दू कोड का विरोध कर रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात न होगी अन्यथा उनका इससे कोई सम्बन्ध तो नहीं जिससे सात-सात घण्टे भाषण की उन्हें आवश्यकता प्रतीत हो ।

यह कहना कि वर्तमान संविधान सभा के सदस्यों को ऐसे बिल को बनने व स्वीकृत करने का अधिकार नहीं हमें युक्तिसंगत प्रतीत होती । यदि सभा विधान बनाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य को करने का अधिकार रखती है तो उसे हिन्दू कोड बिल जैसे उपयोगी बिल को बनाने व उसे पास करने के अधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है विशेषतः जब कि संविधान सभा एक सर्वाधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र संस्था मानी जा चुकी है । हां, इतनी बात अवश्य न्यायसंगत और युक्तियुक्त है कि हिन्दू कोड बिल जैसे बिल पर सम्मति देने का अधिकार केवल हिन्दू सदस्यों को ही हो अन्यो को नहीं क्योंकि अहिंदुओं का इससे कोई सम्बन्ध नहीं । जैसा कि मैंने एस लेखमाला में शास्त्रीय और व्यावहारिक दृष्टि से प्रस्तुत हिन्दू कोड बिल की भिन्न-भिन्न मुख्य धाराओं पर प्रकाश डालते हुए बताया है एक विवाह, अन्तर्जातीय विवाह समर्थन, स्त्रियों की दशा को उन्नत इत्यादि विषयक इसके प्राधान प्रशंसनीय है । विवाह की आयु, पुत्रियों के दायभाग में अधिकार तथा अन्य विषयों में संशोधनों की आवश्यकता है । वर-वधू के लिए न्यूनतम आयु 24 वर्ष और 16

## ANNEXURE II

1373

होनी सर्वथा उचित है 22 और 15 तुरन्त कर ही देनी चाहिए यदि तत्काल 24 और 16 नियत करने में कोई विशेष कठिनाई हो । अति विशेष अवस्थाओं में सम्बन्ध-विच्छेद की अनुमति देना आवश्यक हो तो उसकी शर्तों को और अधिक कठोर बनाया जाए तथा 8, 10 वर्ष की ऐसी अवधि निश्चित की जाए जिसके भीतर नपुंसकता, पागलपन तथा कुष्ठ (कोढ़) इत्यादि के कारण भी सम्बन्ध विच्छेद की अनुमति न दी जाए । विषम विवाहों को दूर करने के लिए भी नियम बनाने आवश्यक हैं । गोद लेने के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष और स्त्री की आयु 21 वर्ष की अवश्य होनी चाहिये । पुत्रियों को दायभाग में वसीयतहीन मृत पिता की सम्पत्ति में पुत्रों के बराबर नहीं किन्तु चौथाई भाग मिलना चाहिये । हां पति की सम्पत्ति और माता के स्त्रीधन में से स्त्रियों को विशेष अधिकार मिलना चाहिए । पुत्रियों को पैतृक अचल सम्पत्ति के उपभोग का अधिकार होना चाहिए, भाई के अतिरिक्त अन्यो को बेचने तथा किराये पर देने का नहीं, इत्यादि संशोधन के लिए प्रयत्न करते हुए यदि हिन्दू कोड बिल का समान्यरूपेण समर्थन किया जाए तो यह समाज और देशहित की दृष्टि से मेरे विचार में सर्वथा उचित ही होगा । हिन्दू समाज की वर्तमान अवस्था शोचनीय है, उसका उद्धार अनेक आवश्यक सुधारों के बिना जिनमें जातिभेद को दूर करने का प्रमुख स्थान है संभव प्रतीत नहीं होता । आशा है विचारशील महानुभाव निष्पक्ष होकर इन विषयों पर गम्भीरता से विचार करेंगे ।

●●●

blank

## INDEX

### A

- Aboriginal Tribes : 840.
- Adi Dravidas : 886.
- Adoption : 106-27, 605, 634-35, 863, 866.  
     —capacity to : 106-9, 114-15.  
     —conditions for : 116-17.  
     —duttaka : 272.  
     —dwaimushayan : 272.  
     —effects of : 118-21.  
     —godha : 260, 272, 605.  
     —kruthrim : 260, 272, 337.  
     —record of : 124-27.  
     —requisites of : 106-9.  
     —void : 122-24.
- Adwaita (Philosophy) : 394, 747.
- Agarkar : 1037.
- Ahimsa : 1159.
- Aizas Rasul, Begum : 33, 34.
- Alagesan, O. V. : 750-60. 911-17.
- Albert, the Prince : 680.
- Alimony : 94-95.
- Aliyasanthana female marriage : 74.
- Aliyasanthana Law : 74, 264, 265, 266, 268, 269, 631, 908, 940, 1187, 1189, 1190, 1191.  
     —divorse in : 98-100.  
     —nullity of : 98-100.  
     —special provision for joint family : 146.
- Amba Veda : 547.
- Ambedkar, The Hon'ble Dr. B. R. :  
     3, 4-17, 37-42, 236, 238-39, 241, 252, 255-83, 285-88, 299, 300, 301, 304, 308-10, 312, 314, 316, 317, 320, 324, 328, 339-40, 342, 347, 352, 353, 354, 355, 364-66, 368, 372, 382, 418, 438, 446, 448, 449-51, 454, 475, 476, 487, 488, 492, 498, 501, 504, 507, 529, 531, 540, 541, 546, 560, 565, 566, 633, 641, 643, 655, 674, 698, 700, 704, 705, 716, 717, 718, 720, 730, 750, 752, 754, 756, 758, 766-73, 774, 775, 780, 781, 784, 785, 791, 794, 796-98, 805, 808, 810, 822-24, 830, 838, 844-45, 848, 850, 855, 859-60, 862, 864, 874, 877, 889- 90, 893, 896-98, 903, 907, 909-12, 919, 921, 922, 923, 926, 932, 953, 955, 961, 963, 964, 966, 970, 971, 972, 975-76, 983, 984, 988, 990, 997, 999, 1016, 1017, 1037, 1040-41, 1050-58, 1061-62, 1065, 1067, 1070, 1075, 1078-79, 1081, 1083-85, 1089, 1091-94, 1097, 1098, 1101-02, 1109, 1111, 1121, 1125-27, 1130, 1136, 1143, 1145, 1149, 1154, 1156-76, 1178, 1180, 1182, 1186, 1187, 1188, 1190-92, 1194- 97, 1199, 1201, 1203, 1207, 1208, 1210-12, 1217, 1220, 1222, 1223- 25, 1227-32, 1235-38, 1241, 1243-45, 1249-49, 1254, 1255, 1257, 1259, 1260, 1264, 1265, 1268, 1270, 1273, 1278, 1280, 1282, 1289, 1292, 1296, 1297, 1299, 1302, 1304-10.  
     —abolition of caste : 267-68.  
     —adoption : 260-62, 269-70.  
     —coparcenary law : 271-75.  
     —customary law of adoption : 271-272.  
     —daughter's share : 264.  
     —divorce : 10, 11, 259-60, 1166.  
     —dowry : 8.  
     —on Hindu Code—  
         —to Non Hindus : 882-85.  
         —to be voluntary : 882-84.

—joint family property : 265.  
 —law of maintenance: 8, 9, 264.  
 —monogamy : 267-68.  
 —motion moved to refer Hindu Code to Select Committee : 4.  
 —personal ideal : 1161.  
 —position of women : 1060-61  
 —refutes charges : 1158.  
 —religious freedom : 1167.  
 —reply to critics : 879-90.  
 —reply to debates : 766-73.  
 —salient features explained : 5-11.  
 —secular State :.  
 —meaning of : 883.  
 —succession : 5, 6, 263-64.  
 —supremacy of Parliament : 1168.  
 —survivership : 1159.  
 —uniform Civil Code : 880-82.  
 —valid marriage : 9, 10, 267-68.  
 —women's right to Property : 7, 8, 15-16, 277-78, 279-81, 1166.  
 Amolak Chand : 1165.  
 Anand marriage : 873.  
 Andazi form of marriage : 340.  
 Animists : 887.  
 Anthony Frank : 900.  
 Annulment of marriage—  
   —certificate of : 66-67.  
   —court jurisdiction : 90-94.  
   —custody of children : 94.  
   —dissolution of : 82-87.  
   —divorce : 56, 84.  
   —guardianship in : 72-73.  
   —interpretation : 56-57, 80, 86-88, 90.  
   —objection to : 62-65.  
   —penalty for bigamous : 76-77.  
   —records of : 60-71.  
   —registrar : 61.  
   —solemnisation of : 66-67.  
   —void : 81, 91.  
   —voidable : 82-83.  
 Anuloma : 229, 234, 237.  
 Apstambha : 1060.  
 Artha : 388.  
 Arthashastra of Kautilya : 269, 667.

Arya : 1060, 1064, 1160.  
 Arya Samaj : 31-32, 235, 994.  
 Arya Samajist(s) : 236.  
 Ashwamedha Yagna : 657.  
 Astik Darshan : 1112.  
 Atmabandhas : 279.  
 Atharvaveda : 547.  
 Ayyangar M. Ananthasayanam : 4, 42, 528, 684, 746, 781, 782, 900, 928, 936, 938.  
 Ayyar Alladi Krishnaswami : 4, 42, 629-43, 687, 692, 698, 719, 722.  
 Azad Maulana Abdul Kalam : 303, 304, 963.

## B

Babar : 613.  
 Backward Classes : 886.  
 Badagas (Tribe Community) : 748.  
 Bagade K. J. : 943.  
 Baishnava Philosophy : 425.  
 Bakshi Tek Chand Dr. : 4, 42, 236-37, 240, 318, 331, 355, 488, 495, 632, 707-27, 745, 756, 760, 818, 898, 970, 992, 1096, 1174, 1175, 1176. Baldev Singh Sardar : 1284.  
 Banerjee Purnima : 376, 386, 746.  
 Banerjee S. C. Dr. : 722.  
 Barman Upendranath : 238, 971.  
 Bhagwan Das Dr. : 1055, 1060.  
 Bharati L. Krishnaswamy : 4, 26, 42, 237, 239, 262, 284, 289, 296, 319, 329, 341, 342, 345, 349, 350, 351, 364, 375, 388, 389, 390, 392, 395, 406, 442, 461, 466, 475, 478, 479, 482, 483, 484, 511, 514, 533, 535-37, 553, 555, 563, 574, 577, 578, 580, 589, 646, 648, 653, 654, 667, 672, 674, 687, 746, 759, 817, 837, 895, 904, 909, 986, 988, 990, 998, 1013, 1014, 1021, 1080, 1093, 1095, 1104, 1106, 1108, 1116, 1166, 1207, 1223, 1225, 1301, 1302.  
 Bhargava Mukut Bihari Lal : 247, 248, 267, 292, 294, 505, 547-84, 585, 603, 626, 784, 795, 796, 882, 904, 1003, 1051, 1054, 1080, 1095, 1275.

## INDEX

1377

- Bhargava Pandit Thakur Das : 4, 9, 229-34, 236, 240-42, 244-48, 253, 258, 267, 284-86, 287, 292, 312-56, 361-62, 370, 374, 380, 382, 384, 385, 445, 447, 449, 495, 611, 712, 768, 795-96, 798, 818, 819, 879, 880, 882, 885, 887, 888, 889, 892, 907, 916, 955, 969, 970, 985, 988, 1001, 1076, 1077, 1078, 1090, 1115, 1167, 1175, 1180, 1182, 1193, 1194, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201-3, 1205-8, 1211, 1213, 1214, 1225, 1226-29, 1232, 1237, 1238, 1248-50, 1252-54, 1255-62, 1265, 1268, 1277, 1282, 1286, 1288, 1292, 1294, 1295, 1310, 1311.
- Bhatt G. D. : 625, 693-707, 725, 753, 975, 976, 1034, 1038, 1039, 1043, 1049-68, 1088, 1089, 1144, 1164, 1169, 1170, 1196, 1205, 1216, 1217, 1261, 1262, 1279, 1282, 1286, 1301, 1307.
- Bhattacharya K. K. : 800.
- Bhimsmriti* : 372.
- Birkenhead Lord : 633.
- Bose Subhash Chandra : 371, 386, 387.
- Brahmin(s) : 229, 299-300.
- Brahmo Samaj : 645, 650, 673, 880, 939, 994, 1037, 1063.
- Brahmoism : 14.
- Brajeshwar Prasad : 593, 800, 1038, 1153-54, 1273.
- Buddha : 747, 887, 995, 1154, 1139.
- Buddhism : 389, 405, 601, 806, 939, 994-95.
- Buddhist(s) : 704, 840-41, 843-44, 850, 853, 863, 868, 871, 880, 887, 888, 1064, 1069, 1070.
- Burke Edmond : 26, 394.
- Chandradari* marriage : 229.
- Charvak : 1111.
- Chatterjee N. C. : 545.
- Chattopadhyaya Mihir Lal : 4, 42, 448, 1007.
- Chaturvarnya : 880, 1159, 1160.
- Chaudhari Smt. Kamala : 655-64.
- Chettiyar T. A. Ramalingam : 282, 330, 457, 1085, 1090, 1091.
- Child marriage : 368.
- Chinese Potentate* : 613.
- Chottu Ram : 1283.
- Choudhari Rohini Kumar : 35-37, 39, 40, 337, 588, 589, 591-94, 596, 646, 691, 708, 730, 732, 757, 765, 767, 768, 769, 775, 781, 782, 785, 791, 793, 849-52, 852, 853, 853-55, 856, 883, 890, 891-99, 957, 958, 961, 962, 970, 981, 984, 1010, 1011, 1014, 1030, 1034, 1038, 1041, 1044, 1049, 1051, 1079, 1080, 1088, 1092, 1106, 1121, 1127, 1128, 1162, 1171, 1187, 1195.
- Christ Jesus : 370.
- Christians : 843-44, 855, 856, 863, 870, 882, 885.
- Civil Justice Committee : 552.
- Civil marriage—  
—conditions of : 59.  
—formalities of : 60-61.  
—procedure for : 60-67.  
—validity of : 58.
- Communism : 330, 363.
- Congress Indian National : 14, 357, 361.
- Conjugal rights—  
—restitution of : 78-79.
- Cowasji Jahangir Sir : 695.
- Customs : 13, 14, 316, 366.
- Czar of Russia : 613.

## C

- Cacharis* (caste) : 36.
- Campbell Sir George : 1101.
- Chadar* marriage : 340.
- Chaliha Kuldhara : 562.
- Chandala* : 1112.
- Chadar Andazi* : 1097.

## D

- D'Souza Rev. : 1099.
- Dadabhai Sir Mankekji : 950.
- Damocle's sword* : 1088.
- Das Dr. Monomohan : 304, 313, 327, 329, 389, 410, 498, 524, 544, 584, 541, 973.

Das Bishwanath : 256, 257, 271, 285,  
294, 369, 370, 383, 402, 429, 457-79,  
488, 497, 500, 516, 648, 746, 757,  
792, 845, 900, 901, 961, 962, 917-28,  
1035, 1040, 1062, 1065, 1096, 1106,  
1111, 1122, 1127, 1154, 1155, 1156.

*Dasiputra* : 484.

*Dasyu* : 1060.

Dayabhag : 5-7, 20, 279, 345, 402, 403,  
429-30, 437-38, 565, 574, 579, 590,  
591, 592, 602, 643, 652, 653, 670,  
703, 713, 720, 1012, 1272.

Dayanand Saraswati, Swami : 387.

Deshmukh Punjabrao S. Dr. : 4, 42, 453,  
459, 485, 594, 652, 589, 716, 766,  
813, 819-23, 828, 849, 1010, 1011-24,  
1026, 1056, 1081, 1112, 1205, 1206,  
1207, 1214, 1220, 1231, 1239, 1241,  
1246, 1249.

*Dharma* : 268, 283, 371-72, 378-79,  
380, 382, 387, 398, 408, 601, 651,  
659, 709, 713.

Dharma Nirnaya Mandal : 437.

Dharma Shastras : 31, 297, 308, 1134,  
1264, 1266.

*Dharmik* marriage : 58, 60, 68, 70, 80,  
870, 871, 873, 874, 992, 998, 1099.

Dhulekar R. V. : 3.

Directive Principles : 606.

Divorce : 299, 300, 310, 311, 317, 341,  
367, 605-6.

Dixit, Smt. : 1265, 1267, 1285.

*Dowry* : 8, 152-53.

Durgabai G. Smt. : 4, 43, 300, 304, 313,  
322, 329, 352, 398-403, 407, 410, 419,  
421, 427, 428, 429, 451, 454, 473-74,  
480, 481, 483, 501, 502, 552, 555,  
567, 591, 623, 753, 757, 758, 760,  
785, 786, 792, 793, 796, 812, 822,  
841, 878, 957, 958, 1017, 1018, 1080,  
1082, 1121, 1122, 1125, 1130, 1131,  
1142, 1240, 1309.

Dwaita Philosophy : 394.

## E

English book of prayers : 703.

## F

Fundamental Rights : 359, 369, 770,  
771.

## G

Gadgil N. V. : 422, 426, 433-40, 820,  
946, 956, 963, 988, 990, 995, 996,  
1028-40, 1049, 1050, 1051, 1063,  
1141, 1196, 1209.

*Gandharva*, form of marriage : 427, 876.

Gandhi M. K. : 233, 311, 316, 357, 371,  
386, 387, 421, 426, 625, 626, 656,  
658, 659, 663, 671, 747, 1056, 1057,  
1058, 1154.

Ganga Lehri : 614.

*Gargi* : 377.

*Gargya* : 1037.

Gautam Mohan Lal : 242-43, 302, 318,  
321, 331, 900, 1165.

*Gita* : 373, 597, 682, 900, 1039.

*Gitanjali* : 1059.

Gladstone P. M. of England : 907.

*Godha son* : 484.

Goenka L. : 532.

Gopalswamy : 1076.

*Gotra* : 481, 582, 626, 630, 635, 721.

*Gotraj* : 279, 297-305.

Gour H. S. Dr. : 231, 237, 698, 702,  
862, 950, 1061, 1156.

Govind Das Seth : 270, 295, 360, 381,  
505, 506, 946, 947, 949.

Greeks : 612.

Gupta Deshbandhu : 235-36, 269, 283,  
284, 895, 1061, 1083, 1084, 1092,  
1205.

Guha A. C. : 506, 507.

Gupta V. J. : 1146, 1216, 1219-20.

Gupte B. M. : 618-20.

*Guru Granth Saheb* : 743, 870, 873,  
1097.

Gurumukh Singh Musafir : 1075.

## H

*Hadis* : 1168.

Halisbur's Laws of England : 671.

## INDEX

1379

Hanumanthaiya K. : 233-34, 238, 241.  
*Harijan* journal : 1025, 1033.  
 Henry Maine Sir : 645, 646.  
 Hill Tribes : 840.  
 Himmatsinghka Prabhudayal : 257, 262,  
 774, 911, 1000, 1001.  
 Hindu Agarwals (caste) : 229.  
 Hindu Code—  
   —aim of : 5.  
   —application of : 50, 51, 52.  
   —definition of : 50-53.  
   —overriding effect of : 54-55.  
   —referred to Select Committee : 4,  
   12.  
 Hindu Law Committee, 1944 : 306, 464.  
 Hitler : 385, 1020.  
 Hukum Singh Sardar : 625, 740- 46,  
 799, 800, 817, 824, 842, 870-79, 887,  
 888, 889, 1071, 1075, 1080, 1171,  
 1172, 1173, 1175, 1226, 1242-44,  
 1246, 1248- 49, 1285.  
 Hussain Imam : 875, 946, 951, 956,  
 1154.

**I**

Inayat Ullah Khwaja : 828, 986, 1127,  
 1128, 1146-49, 1228.  
 Inheritance—  
   —of Muslims : 281.  
   —of Parsis : 281-82.  
 Ismail Khan Mohammad : 507.

**J**

Jaggiwan Ram : 300, 309, 351, 571.  
 Jaimini : 721-22, 1111.  
 Jain Aggarwal : 229.  
 Jain Ajit Praaad : 648, 729.  
 Jains : 841, 842, 853, 856, 863, 871,  
 880, 882, 885, 888.  
 Jaju Sitaram S. : 304, 369, 624-28, 1145.  
 Jajware Ramraj : 919.  
 Jangade : 1262, 1277-80, 1287.  
 Jats : 843.

Jaikar M. R. Dr. : 1011, 1156.  
 Jayashree Smt : 1024-27.  
 Jews : 843-44, 856, 862, 863.  
 Jhaniram : 776.  
 Jhunjhunwala B. P. : 292, 387, 798,  
 815, 825, 829, 976, 1176, 1194, 1195,  
 1209, 1210, 1215, 1234, 1235, 1249,  
 1290, 1300.  
 Jinnah M. A. : 1035, 1052, 1063, 1164.  
 Joint Family System : 604.  
 Joint family and coparcenary—  
   —provisions regarding : 136-39.  
 Judicial separation : 78-79.

**K**

Kaiser of Germany : 680.  
 Kalidas : 426, 755.  
*Kaliyug* : 1298.  
*Kama* : 387.  
 Kamath H. V. : 267, 281-83, 294, 334,  
 369-73, 374-87, 392, 402, 411, 414,  
 415-17, 423, 426, 427, 436, 506, 533,  
 535-37, 560, 590, 596, 704, 714, 769,  
 958, 964, 970, 988, 991, 1002, 1006,  
 1007, 1013, 1016.  
 Kameshwar Singh of Darbhanga :  
 664-66.  
 Kanva, the sage : 422.  
 Kapur Jaspat Rai : 241, 243-44, 252-53,  
 296-97, 512, 774, 800, 801, 815, 817,  
 819-21, 829, 830, 831, 850-53, 856,  
 857, 882, 889, 891, 903, 904, 922,  
 931, 951, 954, 964, 969, 974, 975,  
 982, 997, 1042, 1043, 1063, 1081,  
 1088, 1119, 1128, 1147, 1164-67,  
 1169, 1176, 1178, 1180, 1181, 1183,  
 1203, 1212, 1214, 1241.  
*Karewa* marriage : 340, 874, 1097, 1099,  
 1251, 1254, 1255-57.  
*Karma*, Philosophy of : 659.  
*Karwari* marriage : 229.  
 Kasturba : 387, 626.  
 Kautilya : 667.  
 Kayasthas : 614.  
 Keats : 1059.  
 Keshav Rao V. C. : 4, 42, 938.

**1380****DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES**

Keskar Dr. B. V. : 32, 33.  
 Khandekar H. J. : 649, 728, 730.  
 Khojas : 1164.  
 Khurshid Lal : 4, 42, 497, 500, 501, 532, 833, 837, 840, 841.  
 King Lear : 939.  
*Koran* : 389, 1267.  
 Kripalani Acharya J. B. : 680-87, 690-93.  
 Kripalani Smt. Sucheta : 305-12, 360, 691.  
 Krishnammachari T. T. : 444, 585.  
 Kshatriya(s) : 230, 300.  
 Kumarila Bhatt : 1111.  
 Kunzru Hirdaynath : 288, 290, 998, 1040, 1041, 1044, 1046, 1050, 1054, 1060, 1063, 1154.

**L**

Lenin : 545.  
 Ludendroff Gen. : 680.  
 Laxmanan Mr. : 1012, 1118, 1276.

**M**

Macaulay : 533.  
 Mahabharat : 230, 378, 427, 669, 950, 1004, 1025.  
 Mahavir : 888  
 Maintenance for wife : 9.  
   —provisions regarding : 188-97.  
   —term explained : 188, 189.  
 Maitra Pandit Laxmi Kanta : 390, 395, 396, 404-33, 439, 440, 445, 447, 454-57, 458, 459, 461, 465, 482-83, 495, 503-4, 531, 563, 564, 586, 587-92, 596, 598, 611, 613, 618, 627, 633, 640, 647, 664, 678, 698, 959, 989, 990, 999, 1031, 1032, 1039, 1041, 1043, 1047, 1048, 1049, 1050, 1089, 1090, 1103, 1120, 1122, 1153, 1160, 1162, 1164, 1169, 1172, 1250.  
 Majumdar S. C. : 691.  
 Malaviya Pandit Govind : 455, 596, 688, 729, 757, 783, 842, 980, 981-84, 1004, 1005, 1007, 1141, 1154, 1155.

Malaviya Pandit Madanmohan : 698, 1024, 1050, 1051, 1085, 1086, 1103-26, 1128, 1130-45, 1160, 1185, 1286, 1302-4, 1309.  
 Malbari Saheb : 694.  
 Mallayya Srinivasa : 4, 42.  
 Mandal J. N. : 470, 534, 466, 467, 536, 1070, 1173.  
 Mandan Mishra : 377.  
 Mann B. S. Sardar : 385, 959, 969, 1042, 1068-73, 1074-80, 1086, 1092, 1102, 1120, 1122, 1125, 1147, 1148, 1157, 1169, 1171-73, 1175, 1244, 1245, 1246, 1284, 1289, 1290, 1295, 1297.  
 Manu : 280, 301, 373, 381, 435, 566, 590, 606, 616, 703, 708, 722, 755, 852, 995, 1006, 1037, 1050, 1051, 1079, 1109, 1161, 1266, 1267, 1274, 1280, 1283, 1298.  
*Manusmriti* : 546, 703, 811.  
 Marathas : 614.  
 Marumakkattayam Law : 266, 269, 590, 602, 620, 621, 622, 679, 754, 908, 928, 940, 1187, 1189, 1190, 1191.  
 Marumakkattayam marriage : 74.  
   —annulment of : 98.  
   —divorce of : 100.  
   —special provision for joint family : 146.  
   —succession to property and guardianship : 166-70, 176.  
 Mascarene Mrs. Annie : 234, 376, 423, 460.  
 Mashruwala K. : 1025.  
*Matrubandhus* : 209, 310, 317, 359.  
 Mavalankar G. V. : 535.  
 Max Muller : 933, 1058.  
 Maxwell Reginald : 459, 534.  
 May's *Parliamentary practice* : 329, 332.  
*Mayukh* : 670, 703, 713, 715, 723.  
 Mayukh Law : 635.  
 Mehta Smt. Hansa : 27-30, 41, 336, 386, 423, 522.  
 Menon A. Karunakaran : 423, 441, 620, 621, 622, 623, 624, 654, 1018, 1245.  
*Mimamsa* : 1114-15, 1116, 1134, 1135, 1136-37, 1154.